राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग निर्देश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्याः डीजी–परिपत्र संख्या–06 /2020 दिनॉकःलखनऊःजनवरी 30,2020

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

विषय– नागरिकता संशोधन कानून के विरूद्व किये गये हिंसक प्रदर्शनों में बच्चों व किशोरो को सम्मिलित कराने वालो के विरूद्व कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय में डा0 सुचिता चतुर्वेदी, सदस्य, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त पत्र संख्या–रा0बा0अ0/1231/शिका0–108/2019–20 दिनांकित 21.01.2020 के साथ समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित पत्र दिनांकित 02.01.2020 की छाया प्रति संलग्न करते हुए निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया है :–

2– नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में किये गये हिंसक प्रदर्शन में बच्चों व किशोरो को ढाल बनाकर अराजकता फैलाने का गैर कानूनी प्रयास किया गया। हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से पुनः प्रकाश में आया है कि सुनियोजित तरीके से बच्चों व किशोरों के साथ महिलाओं के द्वारा धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंसक प्रदर्शन में किशोरों को सम्मिलित कराने जैसे आपराधिक प्रवृत्ति पर रोक लगाये जाने हेतु शासन के दिशा–निर्देशों के अनुरूप तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही कराये जाने की आवश्यकता है। किशोर न्याय(बालको की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2015 की धारा–3 के अन्तर्गत बाल अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा एवं उनके सर्वोत्तम हित के लिए उपाय किये जाने का प्राविधान है।

3– माननीय आयोग द्वारा अनुरोध किया गया है कि बच्चों व किशोरो को भ्रमित कर हिंसक प्रदर्शन में सम्मिलित कराने वालो के विरूद्व कठोर कार्यवाही करायी जाय, जिससे उक्त प्रकार की घटनाओं को अंकुश लगाकर बालहितों की रक्षा की जा सके।

4– आपसे अपेक्षा की जाती है कि मा0 आयोग द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

30.1.20

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था,उ0प्र0,लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक,अपराध,उ0प्र0,लखनऊ।
3– समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उ0प्र0।
4– समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक,परिक्षेत्र,उ0प्र0।